

राजस्थान सरकार  
शिक्षा(ग्रुप-1)विभाग

कमांक प. 14(4)शिक्षा-1/अलवर/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 26.4.17

:: आदेश ::

राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10/12) के अत्यन्त निकट राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित होने से दोनों विद्यालयों की कक्षाओं में पर्याप्त छात्र संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अत्यन्त निकट एवं 50 से कम नामांकन वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय को समन्वित करने हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समन्वयन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।

विभाग द्वारा परीक्षण उपरान्त स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए कॉलम 6 में उल्लेखित विद्यालय को कॉलम 5 में उल्लेखित विद्यालय में निम्नानुसार समन्वित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

जिला : अलवर

क्र०स०	पंचायत समिति/ नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम/ वार्ड नं०	राउमावि/मावि (एकीकृत)	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	मुण्डावर	अजरका	अजरका	रामावि अजरका	रामावि सरोड कला मुण्डावर

उपरोक्तानुसार समन्वित (एकीकृत) राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा:-


- समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित(एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (माध्यमिक विद्यालय सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।
- एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।
- एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले माध्यमिक विद्यालय की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, स्थायी एवं

अस्थायी परिसम्पत्तियों, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में स्वतः ही हो जायेगा।

- iv. एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्त कक्षाएं (कक्षा 1 से 12 अथवा 1 से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होंगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समस्त कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित किया जाना संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक से स्वीकृति प्राप्त कर कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक परिसरों में किया जा सकता है। परन्तु कक्षा 1 से 12/1 से 10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों में पृथक-पृथक संचालित नहीं होगी।
- v. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में एकीकरण के उपरान्त कक्षा 1 से 12/1 से 10 संचालित होगी। यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।
- vi. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय यथासंभव एक पारी में संचालित होंगे विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा-कक्षा की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से स्वीकृति प्राप्त की जाकर विद्यालय का संचालन दो पारियों में किया जा सकेगा।
- vii. एकीकरण से पूर्व उच्च माध्यमिक/माध्यमिक तथा उनमें समाहित होने वाले विद्यालय के नाम किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी आदि के नाम से होने की स्थिति में एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के नामकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 11(40)शिक्षा-6/05/पार्ट दिनांक 11.2.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
- viii. बिन्दु संख्या viii के अनुसार कार्यवाही सम्पादित होने तक समाहित किये गये विद्यालय के शिक्षक समन्वित (एकीकृत) विद्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे एवं उनके वेतन का आहरण पूर्वानुसार होता रहेगा।
- ix. समस्त एकीकृत विद्यालयों का संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/मा/अ-1/आदर्श बी/21312/वो-112014 दिनांक 12.2.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।
- x. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर उपरोक्तानुसार विद्यालयों के समन्वयन के आधार पर शाला दर्पण/शाला दर्शन में आवश्यक प्रविष्टि का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,




(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
10. संभागीय आयुक्त, .....
11. जिला कलक्टर, .....
12. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2, 5 व 6) विभाग
13. शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक, जयपुर संभाग, .....
14. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) ।
15. रक्षित पत्रावली।

  
(बी.के. गुप्ता),  
विशेषाधिकारी-शिक्षा

राजस्थान सरकार  
शिक्षा(ग्रुप-1)विभाग

कमांक प. 14(4)शिक्षा-1/अलवर/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक 26.4.17

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस-पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए हैं :-

- प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
- एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015-16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
- प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जो राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10/12) के अत्यन्त निकट है उन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त छात्र संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है। जिसके कारण आर.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद भी प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक शिक्षक की उपलब्धता भी संभव नहीं हो पाती है एवं शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक कम नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम के निकटतम माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित करने हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित किये गये। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा समन्वयन के प्रस्तावों की जाँच एवं परीक्षण उपरान्त इस विभाग को भिजवाये गये हैं।

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए 0-15/30 नामांकन वाले कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को कॉलम 5 में वर्णित विद्यालयों में समन्वित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

**19ए एवं 20ए (0 से 15 नामांकन) अलवर जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन प्रस्ताव**

क्र. स.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत/ न. पालिका का नाम	राजस्व गांव/वार्ड नं.	एकीकृत राउमावि /रामावि का नाम	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	बानसूर	खोकरी	खोरी	राउमावि खोरी	राप्रावि धारवाली
2	कटूमर	अरुवा	अरुवा	राउमावि अरुवा	राप्रावि नंगला कुटीन (अरुवा)
3	कोटकासिम	गुनसार	गुनसार	रामावि गुनसार	राप्रावि करवा
4	कोटकासिम	मकवावा	मतलवास	राउमावि मतलवास	राप्रावि सिलपाटा
5	मण्डावर	गोपीपुरा	सबलगढ	रामावि सबलगढ	राप्रावि छिड की ढाणी
6	राजगढ	राजपुर बडा	भोतीवाडा	रामावि भोतीवाडा	राप्रावि करवान का वास

**19बी एवं 20बी (0 से 30 नामांकन) अलवर जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन प्रस्ताव**

क्र. स.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत/ न. पालिका का नाम	राजस्व गांव/वार्ड नं.	एकीकृतराउमावि /रामावि का नाम	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	कटूमर	मसारी	मसारी	रामावि मसारी	राउप्रावि इन्द्रा कॉलोनी मसारी
2	तिजारा	मुण्डाना	मुण्डाना	रामावि मुण्डाना	राउप्रावि सरकनपुर

19सी एवं 20सी (0 से 30 नामांकन) अलवर जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन प्रस्ताव

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत/ न. पालिका का नाम	राजस्व गांव/वार्ड नं.	एकीकृत राउमावि /रामावि का नाम	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	बहरोड	रिवाली	रिवाली	राउमावि रिवाली	राउप्रावि रिवाली
2.	बहरोड	शेरपुर	शेरपुर	राउमावि शेरपुर	राबाउप्रावि शेरपुर
3.	बहरोड	तसिंग	तसिंग	राउमावि तसिंग	राबाउप्रावि तसिंग
4.	रेणी	बरेर	बरेर	राउमावि बरेर	राबाउप्रावि बरेर
5	रेणी	राजपुर छोटा	बिजारी	रामावि बिजारी	राबाउप्रावि बिजारी
6	राजगढ	मोतीवाडा	मोतीवाडा	राउमावि मोतीवाडा	राबाउप्रावि डूंगरीवास
7	उमरैण	भन्डोडी	भन्डोडी	राउमावि भन्डोडी	राउप्रावि नया कुआ का बास

उपरोक्तानुसार समन्वित (एकीकृत) राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा:-

- समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।
- एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।
- एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पतियां, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में स्वतः ही हो जायेगा।
- एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्त कक्षाएं (कक्षा 1 से 12 अथवा 1 से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होंगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समस्त कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित किया जाना संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक सं

स्वीकृति प्राप्त कर कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक परिसरों में किया जा सकता है। परन्तु कक्षा 1 से 12/1 से 10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों में पृथक-पृथक संचालित नहीं होगी।

- v. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में एकीकरण के उपरान्त कक्षा 1 से 12/1 से 10 संचालित होगी। यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। उदाहरण के लिए अगर एकीकरण के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में 1 से 5 के विद्यालय को ही समाहित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी एकीकृत विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश की व्यवस्था करते हुए 1 से 12 कक्षाएँ संचालित होगी।
- vi. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय यथासंभव एक पारी में संचालित होंगे। विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा-कक्षा की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से स्वीकृति प्राप्त की जाकर विद्यालय का संचालन दो पारियों में किया जा सकेगा।
- vii. एकीकरण से पूर्व उच्च माध्यमिक/माध्यमिक तथा उनमें समाहित होने वाले उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय के नाम किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी आदि के नाम से होने की स्थिति में एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के नामकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 11(40)शिक्षा-6/05/पार्ट दिनांक 11.2.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
- viii. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 22(6)शिक्षा-1/2002 दिनांक 30.4.2015 द्वारा जारी मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत विद्यालयों के पदों की संख्या का निर्धारण कर माध्यमिक शिक्षा में अतिरिक्त पदों के सृजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा में समाहित किये गये विद्यालयों के स्वीकृत पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावेगा। पदों के सृजन के पश्चात नवसृजित पदों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के उप नियम 6(D) के तहत भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- ix. बिन्दु संख्या viii के अनुसार कार्यवाही सम्पादित होने तक समाहित किये गये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक समन्वित (एकीकृत) विद्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे एवं उनके वेतन का आहरण पूर्वानुसार पंचायतीराज/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से होता रहेगा।
- x. समस्त एकीकृत विद्यालयों का संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/मा/अ-1/आदर्श बी/21312/वो-112014 दिनांक 12.2.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।
- xi. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर

उपरोक्तानुसार विद्यालयों के समन्वयन के आधार पर शाला दर्पण/शाला दर्शन में आवश्यक प्रविष्टि का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,




(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

**प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
- ✓ 10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
11. संभागीय आयुक्त, .....
12. जिला कलक्टर, .....
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6)
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, संभाग .....
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)।
16. रक्षित पत्रावली।

  
(बी.के. गुप्ता)  
विशेषाधिकारी-शिक्षा